न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–343/2020/कैम्प टोंक

सूरजमल पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी पोल्याडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलांट

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक।

–रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक दिनांक 26.12.2019 तथा तहसीलदार देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2019

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0– श्री जे0के0जैन
2. राजकीय अभि0– अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः–17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट सूरजमल पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली द्वारा ग्राम चांदली तहसील देवली के खसरा नम्बर 3078 किस्म गैर मुमकीन चारागाह कुल रकबा 2.97 हे0 में से रकबा 1.00 हे0 भूमि को कांटों की बाड़ लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध तहसीलदार देवली द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की गई। अपने निर्णय दिनांक 22.11.2019 को तहसीलदार द्वारा उसे अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पैनाल्टी वसूल करने तथा पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 470/2019 में दिये गये निर्णय दिनांक 22.11.2019 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे प्रकरण संख्या 34/2019 पर दर्ज किया गया। अपने निर्णय दिनांक 26.12.2019 से अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई है–

1. तहसीलदार देवली ने अपीलांट पर नोटिस की प्रोपर तामील नही करवायी गई। यह बिन्दु ध्यान में आने पर भी अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया जो उचित नहीं है।

2. अपीलांट द्वारा कोई नवीन कब्जा नही किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है।

3. पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं दिये गये तथा इस जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: Self Attested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गयें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे तथा राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहें। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि हमे नोटिस प्रोपर तामील नही करवाया गया। भागीरथ नामक व्यक्ति को नोटिस तामील करवाया गया। जिसे हमारा भाई बताया गया है। जबकि इस नाम का कोई हमारा भाई नहीं है। फिर भी नोटिस की तामील प्रोपर मानते हुए सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। ऐसा निर्णय आरम्भ से ही शून्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने प्रकरण को रिमाण्ड किया है। जबकि खारिज किया जाना चाहिए था। अपील स्वीकार की जायें तथा नये सिरे से कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायें। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक की पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की उसे जानकारी नहीं थी। ना ही सलाह दी गई थी। दिनांक 16.03.2020 को नकल प्राप्त हुई। उसके बाद कोविड की परिस्थिति रही। अब अपील प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 26.12.2019 का है। अपीलांट द्वारा दिनांक 09.12.2020 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिये गये रिलेक्सेशन को आधार मानते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रकरण संख्या 470/2019 न्यायालय तहसीलदार देवली उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सूरजमल की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 21.10.2019 से दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अपीलांट को प्रेषित नोटिसेज का अवलोकन किया है। अपीलांट को प्रथम नोटिस तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया था। जिसमें दिनांक 24.10.2019 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर यह अंकित किया हुआ है कि नोटिस प्राप्तकर्ता मौके पर नहीं मिला। अतः एक प्रति भाई ने प्राप्त की तथा कहा कि भाई को दे दूंगा। नीचे की ओर भागीरथ अंकित किया हुआ है। दिनांक 26.10.2019 को दूसरा नोटिस तहसीलदार देवली द्वारा जारी किया गया है। जिसमें दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। उसके नोटिस के पुश्त भाग पर यह अंकित है। नोटिस प्राप्तकर्ता मौके पर नहीं मिला। अतः निम्न गवाहो के सामने एक प्रति मकान पर चस्पा किया। साक्षी के तौर पर प्रीति गुर्जर का नाम व एक अन्य व्यक्ति का नाम अंकित है। तीसरा नोटिस अपीलांट को दिनांक 06.11.2019 को जारी किया गया। जिसमें उसे दिनांक 11.11.2019 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर यह अंकित है। नोटिस प्राप्तकर्ता मौके पर नहीं मिला। लेकिन मोबाईल नम्बर 9660684279 पर नोटिस प्राप्तकर्ता को सूचित किया। अतः एक प्रति प्रीति ने प्राप्त की। नीचे की ओर प्रीति गुर्जर अंकित है। नोटिसेज और न्यायालय प्रोसिडिंग को देखने से स्पष्ट है कि अपीलांट को बहुत जल्दी-जल्दी [illegible] अवधि के नोटिस जारी किया जाकर न्यायालय में शीघ्र उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये गये। धारा 60 एलआरएक्ट के अनुसार अपीलांट को व्यक्तिगत तौर पर तामील किये जाने की बाध्यता है या डाक विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उसे तामील करवायी जा सकती थी या उसके मकान पर जहां अंतिम रूप से उसके द्वारा निवास करना ज्ञात हो। उस मकान पर नोटिस चस्पान्दगी के माध्यम से तामील करवायी जानी चाहिए थी। तामील कुनिन्दा को उन व्यक्तियों के नाम , पते

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

और अपीलांट से क्या संबंध है नोटिस चस्पा के समय लिखा जाना चाहिए तथा जिन लोगो ने नोटिस लिया है वे बालिग है या नही यह भी लिखा जाना चाहिए था। मगर तहसीलदार ने उक्त प्रावधानों को नही देखा है। प्रथम बार जो नोटिस अपीलांट को जारी किया गया था। वह भागीरथ नाम के व्यक्ति को दिया गया जिसे भाई बताया गया है। मगर अपीलांट उसे अपना भाई नही मान रहा है। द्वितिय बार जो उसे नोटिस भेजा गया था। उसको मकान पर चस्पा करना बताया है। मगर साक्षी का अपीलांट से क्या संबंध है। वह बालिग है या नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है। तीसरी बार जो उसे नोटिस दिया गया है। जिसे मोबाईल पर प्रेषित करना बताया है। मगर यह मोबाईल किसका है यह नही बताया है। एक नोटिस पुत्री को दिया गया है मगर पुत्री का नाम क्या है यह नहीं बताया है। नोटिस बहुत अल्प अवधी में उपस्थित होने बाबत दिया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने भी यह माना है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। मगर प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया है। रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का अवसर दिया है। तहसीलदार का निर्णय दिनांक 22.11.2019 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने निर्णय में पूर्व संवत 2075 की पत्रावली का उल्लेख किया है। जिसमें यह अंकित है। अतिचारी भागीरथ द्वारा संवत 2075 में भी कांटा बाड़ लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण संख्या 899/18 दर्ज कर दिनांक 31.10.2018 को अतिक्रमी को बेदखल कर 50 गुना शास्ति करने के निर्णय दिया गया है। उक्त आदेशों की पालना में उक्त अतिक्रमी को दिनांक 31.10.2018 को मौके पर बेदखल कर भूमि कब्जा मुक्त करवायी गयी थी। फर्द बेदखली पर अतिक्रमी के हस्ताक्षर भी अंकित है। अतिक्रमी को बेदखल करने के उपरांत भी संवत 2076 में पुनः अतिक्रमण कर कब्जा किया जाना पश्चातवृति अतिक्रमण प्रमाणित करता है। अतः अतिक्रमी भागीरथ को ग्राम चान्दली तहसील देवली की चारागाह आराजी नम्बर अतिक्रमित भू–भाग से बेदखल कर बेदखली का आदेश दिया जाता है तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की कार्यवाही सूरजमल पुत्र रामलाल गुर्जर के विरूद्ध प्रस्तावित की गई थी। मगर तहसीलदार द्वारा भागीरथ को अतिक्रमी बताते हुए निर्णय पारित किया गया है। नाम में भिन्नता है। नाम की भिन्नता के बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक द्वारा यह बात ध्यान में नही रखी गई है तथा प्रकरण को आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किया गया है। जो उचित नहीं है।

अतः विस्तृत विवेचन के बाद स्पष्ट है कि तहसीलदार देवली ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही सूरजमल के विरूद्ध इनिसियट की गई थी। मगर निर्णय में भागीरथ नाम बताया है। अपीलांट को प्रोपर तामील होना भी नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ दोनो न्यायालय तहसीलदार देवली प्रकरण संख्या 470/2019 निर्णय दिनांक 22.11.2019 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 34/2019 निर्णय दिनांक 26.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा तहसीलदार देवली प्रकरण संख्या 470/2019 निर्णय दिनांक 22.11.2019 तथा प्रकरण संख्या 34/2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक निर्णय दिनांक 26.12.2019 निरस्त किये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर